न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :–हेमराज गूर्जर, R.A.S.

प्रकरण संख्याः–57 / 2024 दायर दिनांकः–15.05.2024

जीसीएमएस नं. 2024 / 147

मूर्ति मंदिर रामललाजी महाराज विराजमान कस्बा हिण्डोन सिटी जरिये मेहन्त शुभम तिवाडी पुत्र शिवचरण तिवाडी, आयु 35 साल, निवासी फुलवाडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली राज0

———सायल

बनाम

1. पप्पी जैन पुत्र विल्लु जैन
2. अशोक जैन पुत्र विल्लु जैन
3. डिम्पल जैन पुत्र विल्लु जैन

} जाति जैन, निवासी केशवपुरा सराफा बाजार हिण्डौन सिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली

—गैरसायलान—03

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– 1. श्री राधेश्याम शर्मा अधिवक्ता सायल
2. श्री रमेश चंद गुप्ता अधिवक्ता गैरसायलान

निर्णय दिनांक

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 112 रकबा 1.16 है0, खसरा न0 113 रकबा .35 है0, खसरा न0 114 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 115 रकबा .20 है0, खसरा न0 118 रकबा [illegible] खसरा न0 119 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 120 रकबा 0.04 [illegible] 0.08 है0, खसरा न0 122 रकबा 0.25 है0, खसरा न0 123 रकबा 0.27 है0, खसरा न0 124 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 125 रकबा 0.54 है0, खसरा न0 126 रकबा 0.13 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.97 है0 वाके तन ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली में स्थित है, जिसे सायल काश्त कर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का उक्त आराजी से कोई संबंध व वास्ता नहीं है। लेकिन गैरसायलान, सायल की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने की फिराक में है।

सायल मूर्ति मंदिर/मेहन्त है, उक्त मंदिर की सेवा, पूजा का कार्य पूर्व में सायल के पिता, बाबा करते थे तथा सायल का भाई भगवान तिवाडी करता था तथा सायल के भाई भगवान तिवाडी ने गैरसायलाल के खिलाफ एक बउनवानी दावा मूर्ति मंदिर रामलला बनाम अशोक जैन, मुकदमा न0 198/2022 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा न0 162/2022 माननीय न्यायायल मे पेश किया था लेकिन सायल के भाई भगवान तिवाडी को गैरसायलान ने मारने–पीटने की धमकी दी व सायल के भाई भगवान तिवाडी को जान से खत्म करने की धमकी दी तब सायल के भाई भगवान तिवाडी ने उक्त गैरसायालान के डर की वजह से उक्त दावे व प्रार्थना पत्र को दिनांक 09.04.2024 को नोटप्रेस कर खारिज करवा लिया तथा सायल के भाई भगवान तिवाडी ने सायल से कहा कि आज के बाद तुम ही मूर्ति मंदिर रामललाजी की पूर्जा–अर्चना करो तथा मैं इन लोगो के खिलाफ कोई दावा पेश नहीं करूंगा क्योंकि उक्त लोग मुझे कभी भी जाने से खत्म कर सकते है। तब सायल ने मूर्ति मंदिर रामललाजी की सेवा, पूजा का कार्य अपने कंधो पर लेकर सेवा पूजा करता चला आ रहा है तथा सायल ही वर्तमान में मूर्ति मंदिर रामललाजी की सेवा, पूजा व भोग–विलास की व्यवस्था कर उक्त मूर्ति मंदिर रामललाजी की भूमि की साल–संभाल करता चला आ रहा है जिससे गैरसायलान का कोई संबंध या वास्ता नहीं है। मूर्ति मंदिर सायल शास्वत नाबालिग है इसलिए प्रार्थना पत्र जरिये पुजारी प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

गैरसायलान, सायल (मूर्ति मंदिर रामललाजी) की सम्पूर्ण आराजीयात मुतजिक्रा मद न0 2 प्रार्थना पत्र पर अवैध अतिक्रमण कर व भूमाफियाओं को साथ लेकर उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने को उतारू हो रहे है तथा उक्त भूमि पर प्लॉट काटने की फिराक में है जबकि गैरसायलान का उक्त भूमि पर अतिक्रमण करने कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

वाका दिनांक 07.05.2024 का समय करीब 5 बजे का है कि सायल आराजीयात मुतजिक्र मद न0 2 प्रार्थना पत्र की साल–संभाल कर रहा था तो गेरसायलान व गैरसायलान के साथ अन्य भू माफिया सायल की उक्त आराजीयात पर आ गये तथा सायल से कहा कि हमने तेरे भाई को तो धमकी देकर भगा दिया

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

है तथा अगर तूने हमारे बीच में उक्त भूमि बाबत हस्तक्षेप किया तो तुझे भी जान से खत्म करके छोडगें तथा उक्त भूमि पर हम जबरन कब्जा करेंगे, तथा हमारे साथ भूमाफियों है तथा काफी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग है तथा हम तुझे उक्त मंदिर की सेवा–पूजा नहीं करने देंगे और ना ही तुझे इस साल उक्त भूमि को काश्त करने देंगे तब सायल ने कहा कि भाईयों उक्त भूमि को काश्त करने देंगे तब सायल ने कहा कि भाईयों उक्त भूमि को हम, हमारे बुजुगों के समय से काश्त करते चले आ रहे है तथा मंदिर रामलला की सेवा पूजा करते चले आ रहे है, तुम हमें नाजायज परेशान क्यों कर रहे हो तब गेरसायलान ने सायल से कहा कि उक्त भूमि वेशकीमती है तथा हम इस पर जबरन कब्जा करेगें तथा तुम्हे बेदखल करेगें तब सायल से कहा कि उक्त भूमि वेशकीमती है तथा हम इस पर जबरन कब्जा करेगें तथा तुम्हे बेदखल करेगें तब सायल ने गेरसायलान से हाथ जोडकर काफी अनुनय विनय किया कि आप हमारे साथ न्याय मत करो लेकिन गैरसायलान ने सायल की एक भी नहीं सुनी

सायल के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णयीय क्षति का बिन्दु भी सायल के पक्ष में बखुबी साबित है तथा गैरसायलान को पाबंद करने में गैरसायलान को किसी प्रकार की क्षति नहीं है इसलिये सुविधा का संतुलन व अपूर्तनीय क्षति गैरसायलान के पक्ष में नहीं होकर सायल के पक्ष में बखुबी साबित है।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्ध गैरसायलान स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबन्द किया जावे कि आराजीयात खसरा न0 112 रकबा 1.16 है0, खसरा न0 113 रकबा .35 है0, खसरा न0 114 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 115 रकबा .20 है0, खसरा न0 118 रकबा 0.09 है0, खसरा न0 119 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 120 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 121 रकबा 0.08 है0, खसरा न0 122 रकबा 0.25 है0, खसरा न0 123 रकबा 0.2[illegible] है0, खसरा न0 124 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 125 रकबा 0.54 है0, खसरा न0 126 रकबा 0.13 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.97 है0 वाके तन ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली में सायल मूर्ति मंदिर रामललाजी की आराजीयात के कब्जेकाश्त व उपयोग–उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वयं पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावे तथा ऐसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

कोई कृत्य नहीं करे जिससे सायल के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पडे तथा रिकॉर्ड व मौके की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान 1 ता 3 की ओर से रमेश चंद गप्ता अधिवक्ता जरिये वकालतन उपस्थित आये। एवं सायल वकील द्वारा दिनांक 15.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र मे अशोक कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जैन, कृष्ण कुमार जैन, दीपेश कुमार जेन, मनीष कुमार जैन, डब्बु जैन एवं नीलम जैन की ओर से पेश किये गये जबाब प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड पर नहीं लेने के सबंध में प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र 151 जाब्ता दीवानी पर उभय पक्ष वकील द्वारा सीधे ही बहस करने का निवेदन किया प्रकरण में सायल वकील द्वारा अपनी बहस कथन में प्रार्थना पत्र धारा 151 जाब्ता दीवानी में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र 151 को स्वीकार करने का निवेदन किया एवं अशोक कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन, कृष्ण कुमार जैन, दीपेश कुमार जेन, मनीष कुमार जैन, डब्बु के वकील ने अपनी बहस में दिनांक 18.06.2024 को प्रस्तुत जबाब को रिकॉर्ड पर लेने हेतु निवेदन किया।

उभयपक्ष वकीलों की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी में अशोक कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन, कृष्ण कुमार जैन, दीपेश कुमार जेन, मनीष कुमार जैन, डब्बु द्वारा जरिये वकील प्रकरण में पक्षकार नहीं होते हुए भी दिनांक 18.06.2024 को जबाब दावा पेश किया गया जो कानून प्रक्रिया के तहत उचित नहीं है। जिससे प्रकरण में सायल/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी के प्रावधान लागू होते है। जिससे सायन/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में दिनांक 18.06.2024 को अशोक कुमार जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन, कृष्ण कुमार जैन, दीपेश कुमार जैन, मनीष कुमार जैन, डब्बु द्वारा जरिये वकील पेश किये गये जबाव को रिकॉर्ड पर नही लिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:40:08 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायलान 1 ता 3 की ओर से वकालतन उपस्थित अधिवक्ता द्वारा जबाव प्रा0 पत्र दिनांक 15.07.2024 को पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (करौली)

1. प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 1 में सायल द्वारा कतई गलत दावा गेरसायलान के विरूद्ध पेश किया जाना स्वीकार है, जिसमें सायल को हरीगज सफलता नहीं मिल सकती है और सफलता का कोई चांस भी नहीं है।

2. प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 2 में दर्ज आराजीयात कुल किता 13 कुल रकबा 3.97 है0 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन में स्थित होना स्वीकार है। बाकी बाते गलत होने के कारण अस्वीकार है। उक्त आराजीयात में सायल ने या उसके बुजर्गान ने कभी भी आज दिन तक कोई नहीं की है। और नाही कोई सरकारी लगान ही अदा किया है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार है कि विवादित आराजीयात मोहनदास चेला गोपालदास साकिन हिण्डौन के नाम निजी खातेदारी की संवत 1993 व संवत 1999 निजी खातेदारी की कदीमी स्थित थी और उक्त आराजीयात पर मोहन दास स्वयं काश्त कर व सरकारी लगान अदा करता चला आ रहा था। तत्पश्चात उक्त आराजीयात मोहनदास चेला गोकुल दास उर्फ गोपाल दास ने जरिये रजिस्र्टड विक्रय महावीर प्रसाद व वीरेन्द्र कुमार पिसरान मूलचंद जाति जैन निवासी हिण्डौन सिटी को दिनांक 24.07.1959 को वयनामा उप पंजीयक हिण्डोन के यहा रजिस्र्टड करवा दिया। और समस्त अधिकार क्रेतागण को दे दिये। उक्त वयनामा हो जाने के बाद नामांतकरण स0 90 दिनांक 24.01.1960 को क्रेता महावीर प्रसाद जैन व वीरेन्द्र कुमार जैन पिसरान मुलचंद के नाम तस्दीक कर दिया और तभी से क्रेतागण उक्त विवादित आराजीयात पर काश्त कर सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे है। तत्पश्चात क्रेता महावीर प्रसाद जैन का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात महावीर प्रसाद जेन के पुत्र जिनेन्द्र कुमार व अशोक कुमार के नाम नामांतकरण संख्या 95 तस्दीक कर दिया गया और राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में उनका नाम जमाबंदी संवत 2018 से 2021 में महावीर प्रसाद के कायम मुकाम के नाम खातेदारी हो गयी। इसके उपरांत संवत 2000 से 2019 के बीच हिण्डौन में सेटिलमेंट का कार्य हुआ, दौरान [illegible] सेटिलमेंट कर्मचारियों की गलती व बिना किसी अधिकार [illegible] की खातेदारी के कॉलम नम्बर 4 में माफी मन्दिर [illegible] पुजारी मोहन दास चेला गोपालदास गलती से दर्ज कर दिया। जबकि सेटिलमेंट कर्मचारियों या अधिकारियों को खातेदारी बदलने का कोई कानूनी अधिकार किसी प्रकार का हासिल नहीं था। दौराने सेटिलमेंट उक्त विवादित आराजीयात के खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नम्बर 32, 33, 35 व कुल रकबा 16 बीघा 11 विस्वा बनाये गये। सेटिलमेंट की उक्त गलती के आधार पर ऐ.डी.एम सवाई माधोपुर ने एक रेफरेंस सन 1985 मे बनाकर रेवेन्यु बोर्ड अजमेर भिजवाया दिया। रेवेन्यु बोर्ड ने बिना पक्षकारों को सूचित किये, बिना खातेदारी को नोटिस दिये, एक पक्षीय कार्यवाही कर दि0 23.04.1986 को रेफरेंस मन्जूर कर दिया। जो कानून कतई गलत है और उसी निर्णय के आधार पर विवादित आराजीयात की खातेदारी मूर्ति मंदिर रामलला के नाम दर्ज हो गयी। खातेदारान को उक्त एक पक्षीय निर्ण व खातेदारी बदलने का कोई इल्म किसी प्रकार नहीं हो सका। क्योंकि खातेदार तो अपनी खरीदशुदा खातेदार की जमीन पर योग कारीदारी से काश्त करते चले आ रहे थे। उक्त एक पक्षीय निर्णय का पता सर्व प्रथम खातेदारान को अक्टुम्बर 2013 में पता चला तो खातेदारान ने उक्त निर्णय के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र मय दफ 5 लिमिटिशेन एक्ट के तहत दिनांक 29.10.2013 को रेवेन्यु बोर्ड अजमेर में प्रस्तुत किया। और सरकार की तरफ से एडवोकेट अजीत सिंह भाटू, राजस्व मण्डल अजमेर में उपस्थित होकर बहस की और राजस्व मण्डल अजमेर ने उभयपक्ष वकीलों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 12.01.2024 को खातेदारान का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 9 रूल 13 स्वीकार कर राजस्व मण्डल अजमेर का निर्ण दिनांक 23.04.1986 को निरस्त करते हुये अपना विस्तृत फैसला सुनाया और उसमें खातेदारान जिनेन्द्र कुमार, अशोक कुमार पिसरान महावीर प्रसाद जैन 1/2 व वीरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचंद जैन के नाम खातेदारी करने के आदेश पारित कर दिये। रेवेन्यु बोर्ड अजमेर में खातेदारान ने इस प्रार्थना पत्र के साथ जो देव स्थान विभाग करौली द्वारा जारी किया गया था जो क्रमांक 60 दिनांक 21.02.2022 को जारी किया गया था, उसतें यह दर्ज है कि मूर्ति मंदिर राम लला महाराज नाम का फुलवाडा तहसील हिण्डौन में कोई मंदिर स्थित नहीं है और नाही ऐसे किसी मंदिर पर विभाग द्वारा कोई [illegible] नियुक्त है और ना ही ग्राम फुलवाडा में विवादित आराजीयात पर किसी [illegible] का जरिये पुजारी कोई कब्जा काश्त भी नहीं है, इस बात का भी हवाला रेवेन्यु बोर्ड अजमेर ने अपने फैसले दिनांक 12.01.2024 में दर्ज किया है और यह भी दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात मूर्ति मंदिर राम लला की खुद काश्त नहीं रही। संटिलमेंट विभाग की गलतियों का खामियाजा पक्षकारों को नहीं देना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इससे साफ जाहिर है कि विवादित आराजीयात शुरू से ही बजमाने बुजुर्गान निजी खातेदारी मोहनदासके परिवार में कोई वारिस नहीं था। उक्त तथ्य का हल्का पटवारी से स्पष्ट होता है जिसकी ताईद हल्का पटवारी की रिपोर्ट से होती है, गेरसायलान विवादित आराजीयात पर कोई नाजयाज कब्जा नहीं करना चाहते है।

3. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 3 गलत है, स्वीकार नहीं है, जब ग्राम फुलवाडा में राम लला का मंदिर अस्तित्व में नहीं है तो सायल का राम लला मंदिर का पुजारी होना, महन्त होना या मंदिर की सेवा पूजा करना व सायल के पिता व बाबा के द्वारा सेवा पूजा करने की बात कतई गलत हो जानी है, और सायल के भाई भगवान तिवाडी ने कभी कोई मंदिर की सेवापूजा नहीं की। बल्कि बदयाति वश सायल के भाई भगवान तिवाडी ने एक दावा मूर्ति मंदिर राम लला बनाम अशोक जैन मु0न0 198/22 व एक प्रार्थना पत्र मु0न0 162/2022 न्यायालय एसडीएम हिण्डौन में गलत पेश कर दिये ओर फिर सायल के भाई भगवान ने सब तथ्यों का पता लगने के बाद व रेवेन्यु रिकॉर्ड को देखने के पश्चात दिनांक 12.04.2024 को अपना दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा नोट प्रेस में खारिज करवा लिये। जिसकी शिनाख्त भी सायल के वकील श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट, ने की थी। उक्त दावा व टी आई के नोट प्रेस में खारिज करवाने के उपरांत अब सायल ने बदयांति वश उक्त दावा व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हाजा पेश कर दिये है जो कि रेसजूडी केटा की तारीफ में आता है। इस कारण उक्त दावा व प्रार्थना पत्र हाजा चलने योग्य नहीं है। बाकी बाते उक्त मद में सायल ने कतई गलत दर्ज करदी है। उपर वर्णित जबाव प्रार्थना पत्र के हिसाब से विवादित आराजीयात जब मोहनदास चेला गोपालदास के नाम थी ओर मोहन दास के कोई संतान नही थी, ओर मोहनदास ने अपने जीवन काल में उक्त आराजीयात को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र [illegible] के पूर्वजों को बेचान कर कब्जा करा दिया तो सायल [illegible] दर्ज करना कि मूर्ति मंदिर राम लला की सेवा पूजा करते थे, कतई [illegible]त साबित हो जाता है, और ग्राम फुलवाडा में मूर्ति मंदिर राम लला के नाम दर्ज से कोई मंदिर अस्तित्व मे नही है। सायल ने प्रार्थना पत्र हाजा व दावा कतई गलत विरूद्ध रिकॉर्ड व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

खिलाफ कानून पेश किया है जो हर सूरत में खारिज किये जाने योग्य है। सायल का कोई प्राईमफेशी केस साबित नहीं है।

4. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 4 कतई गलत एवम कपोल, कल्पित दर्ज किये है। उक्त भूमि पर योग्य खरीददारी से गैरसायलान के पिता व चाचा व अब गैरसायलान का आज दिन तक कब्जा काश्त है। भू माफियों या अन्य दोनो का उक्त आराजीयात से कोई संबंध किसी प्रकार का ना तो पहले ना ही आज दिन है।

5. प्रार्थना पत्र पद नम्बर 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। दिनांक 07.05.2024 को शाम को 5 बजे इस मद में दर्ज सायल व अन्य तीनों के बीच किसी प्रकार की कोई बात चीत नहीं हुयी और उस दिन कोई भूमाफिया नहीं था। गैरसायलान ने सायल से यह नहीं कहा कि हमने तेरे भाई को धमकी देकर भगा दिया और अब तुझे जान से खत्म कर देगें। उक्त जमीन पर नाजयाज कब्जा करेंगे, और तुझे बेदखल कर देंगे। यानि उक्त मद की सारी बातें कतई गलत एवमं झूठी दर्ज कर दी गयी है। प्रार्थना पत्र हाजा कतई गलत पेश कर दिया है।

6. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 6 गलत है, अस्वीकार है। गैरसायलान को कानून पाबंद नहीं किया जा सकता। यदि पाबंद कर दिया तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी, जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से भी संभव हो सकेगी। सुविधा का संतुलन सायल के पक्ष में नहीं है, बल्कि सुविधा का संतुलन गैरसायलान के पक्ष में है।

7. प्रार्थना पत्र में चाही गयी रिलीफ से इंकारी है। सायल विरूद्ध गैरसायलान कोई रिलिफ प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

8. प्रार्थना पत्र कानून मेन्टेनेविल नहीं है, तथा निरस्त किये जाने योग्य है।

9. विवादित आराजीयात पर [illegible] का आज दिन तक किसी 'ाी एक इंच जमीन पर कब्जा नहीं [illegible] आराजीयात शुरू से ही निजी खातेदारी की जमीन [illegible] जागीरी की जमीन थी और ना ही कभी माफी की रही, ग्राम फुलवाड़ा [illegible] रामलला का मंदिर की सेवा पूजा करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है, सायल ने गैरसायलान पर नाजायज दबाब व गैरसायलान को हैरान परेशान करने व उनसे पैसा ऐठनें की गरज की बदयांति वश गलत दावा व प्रार्थना पत्र हाजा गलत गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

बनाकर गलत व्यक्तियों के खिलाफ दावा हाजा व प्रार्थना पत्र हाजा पेश कर दिये है। कब्जे के अभाव में दावा व प्रार्थना पत्र हाजा निरस्त किये जाने योग्य है।

10. प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेस जूडीकेट की तारिफ में आता है। इस कारण भी दावा प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी 2073–76, खाता संख्या 278 वाके ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन, मिलान क्षेत्रफल, खटोनी पेश किये है।

उभयपक्ष वकील उपस्थित। उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है मूर्ति मंदिर की तरफ से कहा कि ये मूर्ति सास्वत है इसकी भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा गलत तरीके से खातेदारी कर दी गयी है अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है, साथ ही गैरसायलान वकील द्वारा अपनी बहस में जबाब प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए एवं गैरसायल ने जबाब प्रार्थना पत्र में कहा कि संवत 1993 की जमाबंदी में विवादित आराजी मोहनदास के नाम थी मोहन दास ने दिनांक 24.07.1959 उक्त विवादित आराजी को रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र प्रसाद पुत्र मुलचंद जाति जेन निवासी हिण्डौन को बेच दी सायल का प्रार्थना पत्र बावत अस्थायी निषेद्याज्ञा मय खर्चा खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी नकल जमाबंदी संवत 2073–76 आराजी खसरा न0 112 रकबा 1.16 है0, खसरा न0 113 रकबा .35 है0, खसरा न0 114 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 115 [illegible] है0, खसरा न0 118 रकबा 0.09 है0, खसरा न0 119 रकबा 0.01 [illegible] न0 120 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 121 रकबा 0.08 है0, [illegible] 122 [illegible] 0.25 है0, खसरा न0 123 रकबा 0.27 है0, खसरा न0 124 रकबा 0.13 है0, [illegible]सरा न0 125 रकबा 0.54 है0, खसरा न0 126 रकबा 0.13 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.97 है0 वाके तन ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन सिटी की खातेदारी मूर्ति मंदिर रामललाजी महाराज हिस्सा पूर्ण खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 112 रकबा 1.16 है0, खसरा न0 113 रकबा .35 है0, खसरा न0 114 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 115 रकबा .20 है0, खसरा न0 118 रकबा 0.09 है0, खसरा न0 119 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 120 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 121 रकबा 0.08 है0, खसरा न0 122 रकबा 0.25 है0, खसरा न0 123 रकबा 0.27 है0, खसरा न0 124 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 125 रकबा 0.54 है0, खसरा न0 126 रकबा 0.13 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.97 है0 वाके तन ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन सिटी में दर्ज खातेदार मूर्ति मंदिर रामलला जी महाराज है, जो दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकरन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन करने पर इस नतीजे पर पहुचे कि खसरा नम्बर 112 रकबा 1.16 है0, खसरा न0 113 रकबा .35 है0, खसरा न0 114 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 115 रकबा .20 है0, खसरा न0 118 रकबा 0.09 है0, खसरा न0 119 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 120 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 121 रकबा 0.08 है0, खसरा न0 122 रकबा 0.25 है0, खसरा न0 123 रकबा 0.27 है0, खसरा न0 124 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 125 रकबा 0.54 है0, खसरा न0 126 रकबा 0.13 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.97 है0 वाके तन ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन सिटी में मूर्ति मंदिर रामलला जी महाराज खातेदार है, गैरसायल ने जबाब प्रार्थना पत्र में कहा कि संवत 1993 की जमाबंदी में विवादित आराजी मोहनदास के नाम थी मोहन दास ने दिनांक 24.07.1959 को उक्त विवादित आराजी को रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र से महावीर प्रसाद एवं वीरेन्द्र प्रसाद पुत्र मुलचंद जाति जेन निवासी हिण्डौन को बेच दी एवं प्रकरण उक्त वयनामा हो जाने के बाद नामांतकरण संख्या 90 दिनांक 24.01.1960 को क्रेता महावीर प्रसाद जैन व वीरेन्द्र कुमार जैन पिसरान मुलचंद के नाम तस्दीक कर दिया एवं उक्त विवादित आराजी के संबध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान के निर्णय दिनांक 12.01.2024 द्वारा क्रेतागण जितेन्द्र कुमार, अशोक कुमार पिसरान महावीरजी प्रसाद जैन तथा विरेन्द्र कुमार पुत्र मुलचंद के [illegible] किये जाने के आदेश किय गये एवं गेरसायल द्वारा सा[illegible] विभाग करौली से क्रमांक 60 दिनांक 21.02.2022 [illegible] की प्रति पेश की है जिसमें मूर्ति मंदिर रामलला महाराज का ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन जिला करोली में देवस्थान विभाग का किसी भी श्रेणी का कोई मंदिर स्थित नहीं है ना हि ऐसे किसी मंदिर पर विभाग द्वारा कोई पुजारी नियुक्त है तथा ना हि ग्राम फुलवाडा की किसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

आराजी पर ऐसी किसी मुर्ति का जरिये पुजारी या अन्य प्रकार से कोई धार्मिक कार्य ही है। उक्त विवादित आराजीयात से सायल का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायल का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायल के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित खसरा नम्बर 112 रकबा 1.16 है0, खसरा न0 113 रकबा .35 है0, खसरा न0 114 रकबा 0.17 है0, खसरा न0 115 रकबा .20 है0, खसरा न0 118 रकबा 0.09 है0, खसरा न0 119 रकबा 0.01 है0, खसरा न0 120 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 121 रकबा 0.08 है0, खसरा न0 122 रकबा 0.25 है0, खसरा न0 123 रकबा 0.27 है0, खसरा न0 124 रकबा 0.13 है0, खसरा न0 125 रकबा 0.54 है0, खसरा न0 126 रकबा 0.13 है0 कुल किता 13 कुल रकबा 3.97 है0 वाके तन ग्राम फुलवाडा तहसील हिण्डौन स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:10:08 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

31/7/24